

FORM-II
(For projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collection Sagar.

No.-----

dt. 01-09-14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERS

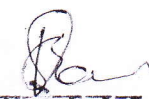
In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the (MoEF) issued guide lines on submission of evidences for having initiated and Completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006. FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest pupose it is certified that 2.01 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **M.P.P.K.V.V.C.L Sagar** (name of the agency) for construction of **33 kv line form Gourjhamer to Deori** (purpose for diversion of forest land in **Sagar** District falls within jurisdiction of **Gopalpura** village (s) in **Deori** tehsils

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification & settlement of rights under the FRA has been carry out for the entire **2.07** hectare of forest area proposed for diversion / copy of records and consultations and meetings of the forest rights committee(s) : Gram Sabha (s) ,Sub Division level Committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure - 1 to annexure -6
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project & its implications in local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA:
- (c) The each concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities processes under the FRA have been Carried out & the they have given their consent to the proposed Division & the compensation & ameliorative measures, if any, having understood the purpose & details of proposed Diversions. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Cheemadhana (Deori)** village(s) in enclosed as annexure- 1 to annexure -6
- (d) The discussion and decision of such proposal had taken pace only when their was a question of minimum 50% of the members of the Gram Sabha present:
- (e) A The diversion of forest land for facilities Managed by the Govt as required under section 3(2) FRA have been completed & the Gram Sabha given their consent to :::
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups & Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically Safeguard as per section 3(1)(e) of the FRA.


सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
सागर मण्डल


वन मण्डलाधिकारी
दक्षिण राज मण्डल, सागर


कलेक्टर
सागर

कार्यालय ग्राम सभा पंचायत चीमाढाना जनपद पंचायत देवरी
जिला सीकर मध्यप्रदेश

ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के द्वारा 33 kv मोरझार से देवरी विद्युत परिषण लाइन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरे पंचायत क्षेत्र के ग्राम चीमाढाना के आरक्षित वन क्षेत्र के वन खण्ड के कक्ष क्रमांक RF-967, 968, RF-956 में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत का वन निवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक को की गई, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एवम द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न :- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक :- 27/05/14


ग्राम सभा के अध्यक्ष
वि. खं. देवरी जि. सीकर

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय ग्राम पंचायत बीमाटाना

विकास खण्ड देवरी, जिला - सागर (म. प्र.)

सरपंच

सचिव

क्रमांक २५.१०.५०/२०००

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक 29/05/14.

विषय → म. प्र. र्व और विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर
द्वारा विद्युत परिधरण लाइन निर्माण वावड।

उपरोक्त विषयांगरित देखते हैं कि म.प्र. स्व. की
विद्युत विद्युत कंपनी लिमिटेड जयलपुर द्वारा आम गोपालपुरा
के कारभार वन क्षेत्र के क.क. RF 967, 968 एवं RF 956
की अर्भिक विद्युत लाइन हेतु व्यपक्ती की सहमति पाही
गई है। आम समा गोपालपुरा के प्र.क. 14 दिनांक 21/05/14
के अनुसार आम समा द्वारा सहमति की गई है। आम पंचायत
को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है।

आम पंचायत द्वारा कनापट्टि हमारे पास नहीं ठीका जाता है।



[Handwritten signature]

वर्ष 2014.....

का कार्यवाही रजिस्टर प्रतिलिपि (नकल)



આમલના દિવોત - 27/05/2014.
સ્થાન - સર્વજનિક વસુધા શ્રમ-ગોપાલપુરા

ક્રમ	સાડલો કે નામ	હોટલ/કોડ
1	અન્ડી	ગુલબદી
2	કાશીચામી	
3	કિશોરી	અશોકચામી
4	કુશાચામી	પેમદાની
5	કુકમ	કુશાચામી
6	લક્ષ્મી	કુકમ
7	રામપ્રસાદ	લક્ષ્મી
8	દેવિલાલ	રામપ્રસાદ
9	મલ્લીવાદ	દેવિલાલ
10	જમદોશ	મલ્લીવાદ
11	સિદ્ધાચામી	જમદોશ
12	કાલીદા	સિદ્ધાચામી
13	વિદ્યાવાદ	કાલીદા
14	વર્ષાચામી	વિદ્યાવાદ
15	રૂપરાગ	વર્ષાચામી
16	વીરાપ્રસાદ	રૂપરાગ
17	બાણલાલ	વીરાપ્રસાદ
18	પ્રમાચામી	બાણલાલ
19	દેવીવાદ	પ્રમાચામી
20	બાળીવાદ	દેવીવાદ
21	રામલીંગ અમદાવાદી	બાળીવાદ
22	સુવર્ણચામી પંચ	રામલીંગ
23	સુવર્ણચામી પંચ	સુવર્ણચામી

आमलमा दिनांक - 27/05/2014.

58

स्थान - सर्वजनिक बाजार शस - गोपा बाजार

क्र	साधक/विनाम	होटेलांक
1	शुक्ला	शुक्ला
2	अशोकवानी	
3	अशोकवानी	अशोकवानी
4	अशोकवानी	अशोकवानी
5	अशोकवानी	अशोकवानी
6	अशोकवानी	अशोकवानी
7	अशोकवानी	अशोकवानी
8	अशोकवानी	अशोकवानी
9	अशोकवानी	अशोकवानी
10	अशोकवानी	अशोकवानी
11	अशोकवानी	अशोकवानी
12	अशोकवानी	अशोकवानी
13	अशोकवानी	अशोकवानी
14	अशोकवानी	अशोकवानी
15	अशोकवानी	अशोकवानी
16	अशोकवानी	अशोकवानी
17	अशोकवानी	अशोकवानी
18	अशोकवानी	अशोकवानी
19	अशोकवानी	अशोकवानी
20	अशोकवानी	अशोकवानी
21	अशोकवानी	अशोकवानी
22	अशोकवानी	अशोकवानी
23	अशोकवानी	अशोकवानी
24	अशोकवानी	अशोकवानी
25	अशोकवानी	अशोकवानी
26	अशोकवानी	अशोकवानी
27	अशोकवानी	अशोकवानी
28	अशोकवानी	अशोकवानी
29	अशोकवानी	अशोकवानी
30	अशोकवानी	अशोकवानी